कार्यालय उद्यान विज्ञान विभाग

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर–208002

पत्रांकः /उ0वि0वि0/2022 दिंनाकः अप्रैल 27 , 2022

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में दिनांकः 06.05.2022 को अपरान्ह 3.00 बजे इस विभाग के उद्यान में लगे निम्न फल पौधों एवं पौधशाला कल्यानपुर में लगे कटहल के फल पौधों (वर्तमान फलत) की नीलामी सार्वजनिक रूप में उद्यान विज्ञान विभाग के उद्यान में सम्पन्न होगी।

आम, लीची, कटहल, बड़हल एवं नीबूं (वर्तमान फलत)

नीलामी की शर्ते

1. बोली बोलने वाले ठेकेदार को बोली बोलने से पहले रू0 5000.00 (पांच हजार रूपया) जमानत के रूप में जमा करना होगा। सबसे उच्चतम बोली वाले क्रमशः दो ठेकेदारों को छोड़कर बाकी का रूपया वापस कर दिया जायेगा।
2. बोली समाप्त होने पर लगाये गये मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। यदि प्रथम उच्च बोली वाले ठेकेदार ने उक्त धनराशि जमा नहीं की तो द्वितीय उच्च बोली वाले ठेकेदार को आमंत्रण दिया जायेगा तथा प्रथम की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. ठेकेदार नीलामी में खरीदे गये फसल में अथवा अन्य फलों के पेड़ो से डाली एवं टहनियों को नुकसान नहीं पहुंचायेगा। ऐसा कोई ब्यवहार नही करेगा जिससे अनुशासन भंग हो। यदि ठेकेदार ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा नुकसान का पूर्ण मुआवजा ठेकेदार को देना होगा।
4. ठेकेदार द्वारा फलों की रखवाली हेतु केवल उनके चौकीदार ही बगीचे में आ सकेगें। ठेकेदार के अन्य लोग गार्डेन ओबरसियर की अनुमति पर ही गार्डेन में जा सकेगें।
5. ठेकेदार कोई भी वाहन बिना विभागाध्यक्ष की अनुमति के अन्दर बगीचे में नहीं ले जा सकेगा।
6. जिसके नाम उचित बोली छूटेगी वही फसल का अन्त तक उत्तरदायी होगा। दूसरे किसी को यह अधिकार हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
7. फसल की सिंचाई आवश्यकतानुसार ही की जायेगी किन्तु बिजली कट जाने की स्थिति में अथवा ट्यूबवेल खराब हो जाने पर पानी की कोई जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।
8. दैबी प्रकोप या पशु पक्षियों या अन्य किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
9. ठेकेदार का अधिकार केवल इसी एक फसल तक का होगा।
10. कोई भी ठेकेदार अपने साथ मुर्गा, मुर्गी, बकरा, भैंस या अन्य कोई जांनवर नहीं लायेगा।
11. नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष का होगा तथा नीलाम की गई फसल की रखवाली की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

(वी0के0त्रिपाठी)
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

पत्रांकः 62 /उ0वि0वि0/2022 तद् दिंनाक।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
3. जिला उद्यान अधिकारी, कानपुर नगर।
4. समस्त ठेकेदारों को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अर्थ नियंत्रक, च0शे0आ0कृषि एवं प्रौ0वि0वि0, कानपुर।
6. ✓ प्रभारी, ए0के0एम0यू0 को इस आशय से कि उक्त सूचना को बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. सूचना पट।
8. कुलपति के तकनीकी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

27/4/22
(वी0के0त्रिपाठी)
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष